न्यायालय अति0जिला कलक्टर,राजसमन्द

(श्री बृजमोहन बैरवा, आर0ए0एस0 अतिरिक्त कलक्टर द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 05/2017
दायर दिनांक :— 10—03—2017
निर्णय दिनांक :— 20—03—2018

अनवान

श्री छोगा लाल पिता उदाजी खटीक निवासी निचली भागल अण्टालिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1—सुगना पुत्री श्री भंवर उर्फ भंवरा जाति बलाई
2—रमली पत्नी भंवर उर्फ भंवरा जाति बलाई निवासियान अण्टालिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
3—जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा राजसमन्द तहसील व जिला राजसमनद
4—नायब तहसीलदार गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
5—तहसीलदार,गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1630 दिनांक 02—11—2016 तहसीलदार, गढबोर

उपस्थित :—
1— श्री दिनेश बंशीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री सम्पत लढढा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गढबोर द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1630 दिनांक 02—11—2016 न्याय,विधि व तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने से इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1630 दिनांक 02—11—2016 खोले जाने की कोई जानकारी नहीं है न ही अपीलांट को नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व सूना गया है । पटवारी हल्का से नामान्तमकरण की नकल प्राप्त करते ही यह अपील पेश की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मयाद है फिर भी कानूनी आपत्ति के समाधान वश प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है । देरी का जो कारण बताया है वह पर्याप्त व उचित है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को मयाद में शुमार माना जाकर डिले कण्डोन फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मयाद के प्रश्न पर बहस सुनी गयी । रेस्पोंडेंट की ओर से ऐसा कोई शपथ पत्र या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो सके कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी की दिनांक से पूर्व हो गई थी । अतः अपीलांट द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गढबोर द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1630 दिनांक 02–11–2016 न्याय,विधि व तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होकर प्रथम दृष्ट्या ही काबिल निरस्त है । क्योकि कोई भी नामान्तरकरण प्रथमतः ग्राम पंचायत के समक्ष कोरम में पेश होना चाहिये एवं उसके समक्ष कोई उज्र या आपत्ति होने पर बाद गुजरने मयाद तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और सीधे ही तहसीलदार साहब ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर नामान्तकरण को स्वीकृत किया गया है। जो काबिल निरस्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1630 दिनांक 02–11–2016 निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता की ओर से कथन किया कि प्रार्थी छोगालाल के पक्ष में दिनांक 01.03.2017 को कभी भी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थी को कभी रजिस्ट्री नहीं करवाई न कोई प्रतिफल राशि प्राप्त की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने रजिस्ट्री विधिवत रूप से धर्मचन्द पिता भोलीराम बलाई को कराई व नामान्तकरण संख्या 1631 द्वारा जमीने भोलीराम के नाम पर नामान्तकरण खुल चुका है। इसकी जानकारी भी अपीलाण्ट को है। तथापि नामान्तकरण संख्या 1630 की अपील करना व केता धर्मचन्द को पक्षकार बनाए बिना अपील प्रस्तुत करदी हैं । अप्रार्थीयां सुगना पुत्री भेवरजी बलाई ने छोगालाल पिता उदा जी खदीक ,नेनालाल पिता मोहनलाल प्रजापत के विरूद्व एस0पी0 राजसमन्द के यहां फर्जी रजिस्ट्री बाबत शिकायत /मुकदमा किया हैं जो जैर तफसीस है अपीलार्थी को सुगना ,रमली ने जमीन नहीं बेची व अपीलार्थी से कोई राशि प्राप्त नही की है। अपीलार्थी ने गलत तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार, गढबोर द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 02–11–2016 को स्वीकृत किया गया है वह सही है।। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है होने से अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः:: अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 20–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0जिला कलक्टर
राजसमन्द